


10/5/22
19/10/22
27/4/22
21/12/21
12/4/2023
25/4/23

2022/247

सीसी स्टेशनरी, मीरवाड़ा 230289
ता. पेहो स्टेशन



जनरल रु... स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उप... जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रिसम मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फंसखा 4	फंसखा क्रमांक 5
धारा 53	39/2022	16.06.2022	AMID 7/6/23	

अनबाध

श्री ~~सुनील कुमार पुत्र बंनारस लाल धाकड़~~ श्री ~~सुनील पुत्री कामतलाल~~
V/S
निवासी ~~सुनीलपुरा~~ निवासी ~~सुनीलपुरा~~

अधिबन्ता बादी / प्राथी / अपीलान्त अधिबन्ता बादी / प्राथी / अपीलान्त

डिक्रीदार रिस्पॉन्डेंट / एव प्रूनाथ

श्री ~~सुनील पुत्री धाकड़~~ श्री ~~सुनील पुत्री कामतलाल~~

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलिया

.....






बनाम

.....

किस्म मुकदमा ...5.2...

नम्बर 39

सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.06.2022	<p>वादपत्र पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावे। पत्रावली दिनांक 16/08/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलिया </p>	
10 ⁸ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान F.O. मा. को पेश है। पत्रावली दिनांक 21.08.22 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
21 ⁸ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादीगणों के वाद लदन लाफिले प्राप्त की शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1, 2 की और से अधिवक्ता जगदीश चंद्र वाकड़ ने O.T. ली। और आगामी पेशी पर अधिवक्ता पत्र पेश करने का अवसर चंदा। पत्रावली वास्ते अधिवक्ता - पत्र दि. 19.10.22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	<p>U/T प्रतिवादी वादी</p> <p style="text-align: center;">  31/8/22 </p>
10 ¹⁰ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते अधिवक्ता - दि. 28.11.22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	

23/11

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वकीलवादी के पत्रावली पेश किया जो शामिल पत्रावली है रतकी एक पत्रावली वकील प्रतिवादी को दिलायी गयी आपसी सहमत/संशोधित वादपत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है रतकी एक पत्रावली वकील प्रतिवादी को दिलायी गयी आपसी सहमत से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अधिकार पत्र / जवाब दि 21.12.22 को पेश है।

अदालत

21/12

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5.1.23 को वास्ते प्रयावपेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

5/12

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11.1.23 को वास्ते प्रयावपेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

11/12

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15.2.23 को वास्ते प्रयावपेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 23/12/22 को वास्ते प्रयावपेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 3/2/23 को वास्ते प्रयावपेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

APP- A
Crim-5

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

नं.

वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की नामील में जारी हुए
9/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवाचक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO मा दोरे पर है। पत्रावली दिनांक 9/3/23 को वाले जज प्रेष हो।</p> <p style="text-align: center;">90712 जज खण्ड अधिकारी</p>	
5/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता व अभ्युक्त उपस्थित। पत्रावली वास्ते जमानत री. 12/4/23 को पेश हो।</p>	
12/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या र की जोर से अधिवक्ता जगदीश जी धामर ने अधिकार फर पेश किया। प्रतिवादी संख्या (1) की जोर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी नं. (1) की जोर से पूर्व में अधिवक्ता जगदीश जी धामर द्वारा ली गई OT में अधिकार फर पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादी नं. (1) के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते हैं। अधिवक्ता अभ्युक्त ने जमानती अनुसार नोटिस जारी करवाते हेतु सहमती जारी किए हैं। अतः PO हेतु तहसीलदार बिजालिया को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते PO पालना री. 26/4/23 को पेश हो।</p>	<p>जमानती कोर्ट का फर पेश करने में सफल है।</p> <p>जगदीश जी धामर</p> <p>अभ्युक्त</p>

नम्बर
अहम
हुकम करीब
में जा हुकम

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/4/23

पत्रावली पेश हुई। अभिलेख वादी/वकील
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 21/5/23 को वास्ते में पत्रावली/पेश हो।

90
उप खण्ड अधिकारी

31/5/23

P.O.

नवादा

31/6

पत्रावली पेश हुई। आधिबन्तता उभयपक्ष उपस्थित।
प्राथमिक डिस्त्री की पालना में तहसीलदार,
बिजौलिया से बँटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
वास्ते निर्णय/बहल दिनांक 7/6/23 को
पेश हो।

7/6/23

पत्रावली पेश हुई। आधिबन्तता उभयपक्ष उपस्थित।
आधिबन्तगण प्राथमिक डिस्त्री, बँटवारा प्रस्ताव
से सहमत हैं। अन्तिम बहल सुनी गई।
वादी का वाद अन्तिम रूप डिस्त्री किया
जाता है। निर्णय एवं डिस्त्री पत्रावली पुस्तक
से लिखवाया जाकर, सुले न्यायालय में
सुनगाया गया। पत्रावली कैलस शुमार होकर
नम्बर ले कम होकर, पाखिल दफ्तर
हो।

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 39/2022

दायर तारीख 16/06/2022

अनवान

सत्यनारायण पुत्र भगवान लाल जाति धाकड़ पेशा खेती निवासी सुखपुरा तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....वादी

बनाम

1. चंदा पुत्री भगवानलाल पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां।
2. फोरी पुत्री भगवानलाल पत्नि प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियां।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियां भूमिधारी जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ - अधिवक्ता वादी
2. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक : 07/06/2023

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 12/04/2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम सुखपुरा प0ह0 सुखपुरा तह0 बिजौलियां की शरहद में खाता संख्या 88 पर अंकित खसरा संख्या 211/1 रकबा 0.7448 है0, खसरा संख्या 212 रकबा 0.1781 है0, खसरा संख्या 298/2 रकबा 0.4858 है0, खसरा संख्या 407/2 रकबा 0.0405 है0, खसरा संख्या 431 रकबा 0.2833 है0, खसरा संख्या 432/1 रकबा 0.1781 है0, खसरा संख्या 433/1 रकबा 0.2023 है0, खसरा संख्या 441/1 रकबा 0.7689 है0, खसरा संख्या 466/291 रकबा 0.0324 है0 कुल क़िता 09 रकबा 2.9138 है0 भूमि में निहित वादी के 7/12 हिस्से का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/692 दिनांक 25.05.2022 को प्रस्तुत किये। सलग्न पत्रावली है। प्राप्त प्रस्ताव अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 को स्वीकार है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है०)	किस्म	लगान
01	सत्यनारायण पुत्र भगवान लाल धाकड़ सा. देह खातेदार	सुखपुरा	298/2/2 407/2 441/1/2 211/1/1 212/1 431/1 432/1/2 433/1/2	0.2833 0.0405 0.4485 0.4344 0.1179 0.1678 0.1571 0.0623		
	योग		किता 08	1.7118		
02	चन्दा पुत्री भगवानलाल धाकड़ सा. देह हाल मु० चान्दजी की खेड़ी	सुखपुरा	298/2/3 466/291/1 441/1/1 211/1/3 212/3 431/2 433/1/3	0.1214 0.0194 0.1922 0.1861 0.0420 0.1155 0.0504		
	योग		किता 07	0.7270		
03	फोरी पुत्री भगवानलाल धाकड़ सा. देह हाल मु० नयागांव	सुखपुरा	298/2/1 466/291/2 441/1/3 211/1/2 212/2 432/1/1 433/1/1	0.0809 0.0130 0.1282 0.1241 0.0182 0.0210 0.0896		
	योग		किता 07	0.4750		

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करें।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 07/06/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या 39/2022

दायर तारीख 16/06/2022

अनवान

सत्यनारायण पुत्र भगवान लाल जाति धाकड़ पेशा खेती निवासी सुखपुरा तह0 बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. चंदा पुत्री भगवानलाल पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां।
2. फोरी पुत्री भगवानलाल पत्नि प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सुखपुरा हाल मुकाम बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियां।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियां भूमिधारी जिला भीलवाड़ा(राज.)।

..... मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 07/06/2023

डिक्री दिनांक : 15/06/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री मुकेश कुमार धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
01	सत्यनारायण पुत्र भगवान लाल धाकड़ सा. देह खातेदार	सुखपुरा	298/2/2 407/2 441/1/2 211/1/1 212/1 431/1 432/1/2 433/1/2	0.2833 0.0405 0.4485 0.4344 0.1179 0.1678 0.1571 0.0623		
	योग		किता 08	1.7118		
02	चन्दा पुत्री भगवानलाल धाकड़ सा. देह हाल मु0 चान्दजी की खेड़ी	सुखपुरा	298/2/3 466/291/1 441/1/1 211/1/3 212/3 431/2 433/1/3	0.1214 0.0194 0.1922 0.1861 0.0420 0.1155 0.0504		
	योग		किता 07	0.7270		



**उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा**


फोरी पुत्री भगवानलाल धाकड़ सा. देह हाल मु० नयागांव	सुखपुरा	298/2/1	0.0809		
		466/291/2	0.0130		
		441/1/3	0.1282		
		211/1/2	0.1241		
		212/2	0.0182		
		432/1/1	0.0210		
		433/1/1	0.0896		
योग		किता 07	0.4750		

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nilखर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।


बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2023 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 15/06/2023 को मुर्तिब की गई।


(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		


(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

